न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ०नि०) अधिनियम, जौनपुर।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद सं०–09/2026
(पंजीकरण सं०–31/2026)
आशा देवी–––––––बनाम––––––––––संतोष सिंह उर्फ रिडु व अन्य।

दिनांक–19.03.2026

1– पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भा०ना०सु०सं० पर सुना जा चुका है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया।

2– आवेदिका की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–173(4) भा०ना०सु०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 14.01.2026 को उसके घर का बच्चा वीरू पतंग उड़ा रहा था, तभी गाँव के संतोष सिंह उर्फ रिडु ने कही जाते समय जब उसके घर के पास पहुँचे तो वीरू को पतंग उड़ाता देख जानबूझकर पतंग का धागा तोड़ दिया, जिससे वीरू रोने लगा। वीरू को रोता हुआ देख घर पर मौजूद आशा देवी ने संतोष से पूछा ऐसा क्यूँ किया तो संतोष सिंह गाली देने लगे और दोनों लोगों में बहस होने लगी, जिससे परिवार व गाँव के अन्य लोग इकट्ठा हो गये मामला बढ़ता देख उसके द्वारा डायल 112 पर काल करके पुलिस बुलाई गयी। पुलिस ने आकर दोनों पक्षों का समझाया और संतोष सिंह उर्फ रिडु पर कोई कार्यवाही किये बिना चले गये। घटना दिनांक 15.01.2026 की है, उसी बात के रंजिश को लेकर संतोष सिंह उर्फ रिडु, सुजीत सिंह उर्फ भानू, धानू सिंह, रानू सिंह व अश्वनी सिंह उर्फ बबलू सभी लोग एक राय होकर दिन में लगभग 12 बजे उसके घर व बस्ती में आकर माँ–बहन की भद्दी–भद्दी गालियाँ व जातिसूचक शब्द पासी–धासी कहने लगे। उसके द्वारा विरोध करने पर सभी लोग उसके घर में घुसकर तोड़–फोड़ करने लगे जिसका विरोध करने पर उसे व उसकी पुत्री को लात–मुक्का व लाठी–डंडा से मारने लगे। उसकी पुत्री का कपड़ा फाड कर निर्वस्त्र करने व अश्लील हरकत करने लगे, जिससे उन्होंने शोर मचाया। गाँव के अन्य लोग इक्ट्ठा हो गये और किसी तरह बीच–बचाव किया। जाते समय संतोष सिंह उर्फ रिडु व अन्य लोग धमकी देते हुए गये कि यदि तुम लोग पुलिस बुलाई या थाने पर गयी तो तुम लोगों को जान से मार देंगे और तुम्हारा घर भी जलाकर राख कर देंगे। यह कहते हुए सभी अभियुक्तगण चले गये। उसको व उसकी पुत्री को काफी चोटें आईं। उसने थाने पर सूचना दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा दिनांक 16.01.2026 को मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के आदेश पर दिनांक 17.01.2026 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछलीशहर में उसका व उसकी पुत्री ने अपना डाक्टरी मुआयना कराया। उसके सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से उसका जिला चिकित्सालय, जौनपुर के लिये रिफर कर दिया गया और दिनांक 19.01.2026 को उसने जाकर एक्स–रे कराया। दिनांक 20.01.2026 को उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद जौनपुर, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उ०प्र० एवं अध्यक्ष अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग उ०प्र० को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिया गया फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। याचना की गयी है कि थानाध्यक्ष मछलीशहर, जौनपुर को आदेशित किया जावे कि वे मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।

3– आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा चोटहिलगण का डाक्टरी मुआयना, एक्स–रे रिपोर्ट, एक्स–रे प्लेट एवं अन्य चिकित्सकीय प्रपत्र, पुलिस अधीक्षक, जौनपुर, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग उ०प्र०, अध्यक्ष एस०सी०/एस०टी० आयोग लखनऊ को संबोधित प्रार्थना–पत्र मय रजिस्ट्री रसीदें, चोटहिलगण के फोटोग्राफ आदि

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.19 15:56:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

एवं जाति प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रतियां संलग्न की गयी हैं। प्रार्थनापत्र के साथ में मु०अ०सं०– 17/2026 अंतर्गत धारा–191(2), 115(2), 118(1), 352, 351(3) बी०एन०एस० थाना मछलीशहर, जिला जौनपुर की प्रथम सूचना रिपोर्ट की छायाप्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है।

4– प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने से आख्या प्राप्त है। थाने की आख्या के अनुसार आवेदिका के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। थाना आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि पतंग उड़ाने की बात को लेकर दिनांक 14.01.2026 को विवाद हुआ था, जिसके संबंध में अश्वनी सिंह की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०– 17/2026 अंतर्गत धारा–191(2), 115(2), 118(1), 352, 351(3) बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया।

5– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका कथनानुसार दिनांक 14.01.2026 को पतंग उड़ाने बावत पूर्व विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 15.01.2026 को अभियुक्तगण संतोष सिंह, सुजीत सिंह, धानू सिंह, रानू सिंह, अश्वनी सिंह समय करीब 12 बजे दिन उसके घर पर आकर भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये, जिसका विरोध करने पर अभियुक्तगण उसके घर में घुसकर तोड़–फोड़ किये, जिससे मना करने पर सभी लोग उसे व उसकी पुत्री को लात–मुक्का व लाठी–डंडा से मारे, उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकत किये तथा जान से मार देने की धमकी दिये। प्रार्थना पत्र में आवेदिका द्वारा किये गये कथनों के आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध कारित होना पाया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त तथ्य आवेदिका के संज्ञान में है और वह अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में स्वयं सक्षम है। प्रकरण में कोई बरामदगी आदि नहीं होनी है। थाना आख्या में यह उल्लिखित किया गया है कि आवेदिका द्वारा चढ़ा–बढ़ाकर प्रार्थनापत्र दिया जा रहा है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं थाना पुलिस की ओर से प्रस्तुत आख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अभिनिर्णीत विधि व्यवस्था **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (59) ए०सी०सी० 739** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रस्तुत प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा प्रकरण की जांच कार्यवाही सम्पादित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6– अतः धारा 210 (1) (a) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानान्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दिनांक 26.05.2026 को पेश हो।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6509